राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 7(1)कार्मिक / क–2 / 99 जयपुर, दिनांकः– 12.9.2012

1 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव

2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः–अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित किया गया है, व्यवहार के बारे में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.05.11 के कम में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152 / 2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श उपरान्त निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है–

यदि किसी अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु या फीस संबंधी रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाया है और वह सामान्य वर्ग के ऐसे अन्तिम अभ्यर्थी से, जो चयनित हुआ है, से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो भी अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थी का चयन यथास्थिति अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति किया जावेगा तथापि यदि अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के अभ्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया के दौरान आयु एवं फीस की रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग की रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किया जायेगा। उक्त निर्देश मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152 / 2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में होने वाले अन्तिम निर्णय अथवा उक्त अपील में स्थगन आदेश प्राप्त होने तक, के अध्यधीन रहेगें।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी करते समय उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
3. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

47/2012